

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
परिशिष्ट ' सात '

[4/12/2017]

प्रपत्र "अ"

विधानसभा प्रश्न क्र. 2630 द्वारा श्री मुकेश पण्डया

स.क्र	वर्ष 2013-13 में बजट मद 64-2457 के स.क्र. 38 पर मार्ग का नाम एवं लागत	मार्ग का नाम सुधारने हेतु जन प्रतिनिधियों के पत्र का विवरण	परिवर्तन/सुधार करने हेतु मार्ग का नाम एवं लम्बाई	विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों से प्राप्त संदर्भ में की गई कार्यवाही का विवरण	कार्य कब प्रारम्भ किया जावेगा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	पिरसापास से राजायपा ह्याया अमोदिया गुणावद मार्ग लम्बाई 13.70 कि.मी व लागत रु 340.78 लाख	1- श्री शांतीलाल धर्बाई तत्कालीन विधायक द्वारा पत्र क्र 841 दिनांक 15.09.2012 2- श्री मुकेश पण्डया वर्तमान विधायक के पत्र क्र. एम.एल. ए/218/68/दिनांक 06.07.14 192 दिनांक 15.05.2015, 280 दिनांक 21.02.2016, क्र. 1051 दिनांक 29.05.2017, क्र. 1062 दिनांक 09.06.2017	पलदुना से गुणावद ह्याया पीरझलार , असावता फतेहपुर लम्बाई 15.85 कि.मी	1. कार्य का प्रथम प्राक्कल मुख्य अभियंता पश्चिम उज्जैन के पत्र क्र. 149/कार्य/सड़क/मुख्य बजट/उज्जैन 2013-13 दिनांक 10.01.2013 लागत रु 902.20 लाख प्रमुख अभियंता लो.नि.वि भोपाल को प्रेषित किया गया था। 2. मुख्य अभियंता पश्चिम उज्जैन के पत्र 1249/कार्य/मुख्य बजट/उज्जैन 2012-13 पलदुना गुणावद दिनांक 04.03.2013 से प्रमुख अभियंता लो.नि.वि भोपाल के नाम सुधार हेतु लिखा गया। 3. एस.ओ.आर में परिवर्तन होने से संशोधित प्राक्कल मुख्य अभियंता पश्चिम उज्जैन के पत्र क्र. 2040/कार्य/सड़क/मुख्य बजट/उज्जैन/2013-14 दिनांक 12.04.2013 लागत रु 1118.93 लाख प्रमुख अभियंता लो.नि.वि भोपाल को प्रेषित। 4. मुख्य अभियंता पश्चिम उज्जैन के पत्र क्र. 1852/दिनांक 06.06.15 द्वारा सचिव म.प्र शासन को मुख्य बजट में अंकित मार्ग के नाम सुधार हेतु लिख गया है। 5. एस.ओ.आर में परिवर्तन होने के कारण संशोधित प्राक्कल मुख्य अभियंता लो.नि.वि पश्चिम उज्जैन के पत्र क्र. 4112/कार्य/सड़क/प्लान/उज्जैन/2016-17 उज्जैन दिनांक 11.11.2016 द्वारा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल को प्रेषित। 6. एस.ओ.आर में परिवर्तन होने के कारण संशोधित प्राक्कल लागत रु 1498.41 लाख मुख्य अभियंता लो.नि.वि पश्चिम उज्जैन के पत्र क्र. 4422/कार्य/सड़क/प्लान/उज्जैन/2017-18 उज्जैन दिनांक 19.09.2017 द्वारा प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल को प्रेषित।	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने तथा आवंटन उपलब्ध होने पर	

प्रश्न सं. [क्र. 2630]